प्रेस नोट **17/05/2023**

मुख्तार अंसारी गिरोह (आईएस 191) के सहयोगी मो0 सुहैब मुजाहिद की अवैध तथा अपराधिक गतिविधियों से अर्जित भूखण्ड व उसपर बना भवन (लगभग एक करोड़ 50 लाख रूपये कीमती) 14(1)गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत बाराबंकी व मऊ पुलिस द्वारा किया गया जब्त–

संगठित अपराध/अपराधियों के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान में क्रम में आज दिनांक 17.05.2023 को राजस्व टीम व भारी बाराबंकी व मऊ पुलिस बल की उपस्थिति में, मुख्तार अंसारी गिरोह (आईएस 191) के सहयोगी अभियुक्त मो0 सुहैब मुजाहिद पुत्र मो0 इजहारुल हसन निवासी जमालपुर मिर्जापुर थाना घोसी मऊ हाल पता सदियापुर थाना करेली जनपद प्रयागराज जनपद मऊ द्वारा अपराध से अर्जित कस्बा खाश मलिकटोला जमालपुर मिर्जापुर थाना घोसी मऊ स्थित आबादी गाटा संख्या 1042 जो आबादी श्रेणी 6(2) की भूमि है के आंशिक भाग 135.1 वर्ग मीटर भूमि व उस पर निर्मित मकान कुल कीमत (लगभग 01 करोड़ 50 लाख रुपये कीमती) को अंतर्गत धारा 14 (1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत बाराबंकी व मऊ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कुर्क किया गया। उल्लेखनीय है कि मु0अ0सं0 287/22 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी से सम्बन्धित उक्त अभियुक्त मो0 सुहैब मुजाहिद द्वारा संगठित अपराध से धनोपार्जन कर अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है। गिरोह सरगना मुख्तार अंसारी द्वारा गिरोह की सक्रिय सदस्य मो0 सुहैब मुजाहिद विगत 10–12 वर्षों से अपराध में सक्रिय होन की साथ ही साथ गैंग लीडर मुख्तार अंसारी के अपराधिक कृत्यों में सम्मलित रहा है। अपराध के अलावा व उसके परिजन के पास आय का ऐसा अन्य कोई ज्ञात श्रोत नही है जिससे की यह अवधारण की जा सके कि उक्त आय से उक्त भूमि क्रय कर मकान निर्माण के लिये धन आया हो।

चोरी की मोटरसाईकिल के साथ एक शातिर गिरफ्तार–

थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा आज दिनांक 17.05.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर यूसुफाबाद से, दिनांक 28.04.2023 को सब्जी मंडी जमीन दुर्गापुर के पास से चोरी हुयी मोटरसाईकिल से सम्बन्धित पंजीकृत मु0अ0सं0 66/23 धारा 379 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्त जमालुद्दीन पुत्र नसीम युसुफाबाद थाना चिरैयाकोट मऊ के कब्जे से उक्त अभियोग से सम्बन्धित मोटरसाईकिल सूपर स्प्लेंडर (यूपी50एएच 7937) को फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियोग में धारा 411,413,420 भादवि की बढोत्तरी कर चालान न्यायालय किया गया।

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा आज दिनांक 17.05.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं 87/23 धारा 360,323,504,506 भादवि में वांछित अभियुक्तों महबूब अली पुत्र मंसूर व रमजान पुत्र मंजूर निवासीगण गोठा थाना दोहरीघाट को उनके घर से गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

<u>शांति भंग की आशंका में कुल 25 व्यक्ति व एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–</u>

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 17.05.2023 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा पंकज चौहान, गनेश, आशा, सुनीता, संजू, मंजू, मुन्नी, गुणी, प्रदुम्य, बताशी निवासीगण रानीपुर, अखिलेश राजभर निवासी अन्नूपार थाना मुहम्मदाबाद, थाना मधुबन पुलिस द्वारा सोनू राजभर, कयामुद्दीन, संजय, रामविलास, शिवचंद, रघुनाथ, अवधेश निवासीगण कटघरा शंकर, जयप्रकाश, गुलाम व मनमोहन निवासीगण उफरौली थाना मधुबन, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा रोशन निवासी भेंड़ियाघर व छोटेलाल निवासी फतेहपुर थाना चिरैयाकोट व थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा सुरेन्द्र व अमरदीप निवासीगण डुमरांव थाना सरायलखंसी एवं थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त चन्द्रप्रकाश सोनी पुत्र शिवजी निवासी रतनपुरा थाना हलधरपुर मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।